



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 संख्या - 1742 वर्ष 2026

आजाद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, लखनऊ और 4 अन्य के माध्यम से

.....विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता	:	आदर्श शुक्ला
विपक्षीगण के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता प्रिंस सिंह

न्यायालय संख्या-16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पूरक शपथ पत्र को अभिलेख पर ले लिया गया है।

2. दिनांक 26.02.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

"1. पक्षकारों के अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया है कि मामले में पक्षकारों के बीच आपसी समझौता हो गया है, और इसकी पुष्टि की जानी है।"

2. दोनों पक्षों को 13.03.2026 को समझौते के सत्यापन के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

3. विचारण न्यायालय इसकी जांच करेगी और अगली निर्धारित तिथि तक इस न्यायालय को रिपोर्ट भेजेगी।

4. इस मामले को 23.03.2026 को सूचीबद्ध करें।

5. अगली सुनवाई की तिथि तक, पुलिस स्टेशन पालिया, जिला खेरी में दर्ज

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0184/2018 से संबंधित सत्र परीक्षण संख्या

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

133/2018 के अंतर्गत आवेदक के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

6. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई मूल समझौता पत्र मौजूद है, तो आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उचित आवेदन प्रस्तुत करने पर उसकी एक फोटोकॉपी अभिलेख में रखते हुए उसे लौटा दिया जाए।
3. उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, विचारण न्यायालय ने ईमेल के माध्यम से एक सत्यापन रिपोर्ट भेजी है, जिसे अभिलेख में ले लिया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता, श्री प्रिंस सिंह, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता की बातें सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
5. इस आवेदन के माध्यम से, आवेदक ने दिनांक 05.02.2026 के समझौते के आलोक में, धारा 363, 376, 366 भारतीय दंड संहिता और धारा 3/4 पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत वाद अपराध संख्या 0184/2018 से संबंधित दिनांक 27.07.2018 की आरोप पत्र संख्या 01 और साथ ही उपरोक्त मामले में पाक्सो अधिनियम के अतिरिक्त सत्र/विशेष न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 12, जिला लखीमपुर खेरी, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 23.03.2021 को पारित गैरजमानतीय वॉरन्ट आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अस्थिकरण रिपोर्ट के अनुसार कथित पीड़िता की आयु 18 वर्ष से अधिक थी। उनका यह भी कहना है कि कुछ गलतफहमियों के कारण पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम बताई गई थी।
7. इसके बाद उन्होंने बताया कि पीड़ित और आवेदक दोनों ने विवाह कर लिया है और पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं, और उनका एक बच्चा भी है जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष है, और जन्म प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि दोनों पक्ष आपस में मिले और सौहार्दपूर्ण ढंग से अपना विवाद सुलझा लिया, जिसे 5 फरवरी 2026 को लिखित रूप में दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद आवेदकों ने विचारण न्यायालय को समझौते के दस्तावेज़ का सत्यापन करने का निर्देश देने हेतु यह आवेदन दायर किया और 26 फरवरी 2026 के आदेश के अनुपालन में सत्यापन किया गया और रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत कर दी गई है। उनका निवेदन है कि इस मामले में आगे की आपराधिक कार्यवाही उत्पीड़न के समान होगी और इसलिए वाद संख्या 0184/2018 के अंतर्गत चल रही इस आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए।
9. विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदकों के अधिवक्ता के तर्क का समर्थन किया है और निवेदन किया है कि पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपना विवाद सुलझा लिया है और विरोधी पक्ष संख्या 2 को कोई शिकायत नहीं है, इसलिए आवेदकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है।
10. राज्य के विद्वान अधिवक्ता को उपरोक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है।
11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दलीलों पर विचार करते हुए, मैं पाता हूँ कि पक्षकारों के बीच 05.02.2026 को समझौता हुआ था और उक्त समझौते का सत्यापन 13.03.2026 को किया गया था और अब, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के बयान के अनुसार, वह मुकदमा अपराध संख्या 0184/2018 से संबंधित उपरोक्त आपराधिक मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।
12. उपरोक्त के दृष्टिगत, चूंकि आवेदकों और विपक्षी पक्षों ने 10.05.2022 को समझौता कर लिया है और अब कोई विवाद शेष नहीं है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2003) 4 एससीसी 675; निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2008) 9

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

एससीसी 677; मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य (2008) 16 एससीसी 1; ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303; और नरेंद्र सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एससीसी 466 में दिए गए निर्णयों के दृष्टिगत उपरोक्त आपराधिक मामले में आगे की आपराधिक कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।

13. तदनुसार, दिनांक 27.07.2018 के मुकदमा अपराध संख्या 0184/2018 से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही, जिसमें धारा 363, 376, 366 एल.सी. और धारा 3/4 पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत वाद संख्या 133/2018, पुलिस स्टेशन - पालिया, जिला - खीरी शामिल है, और उपरोक्त मामले में दिनांक 23.03.2021 को अतिरिक्त सत्र/विशेष न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 12, जिला - लखीमपुर खेरी, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित गैर जमानतीय वॉरन्ट आदेश को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

14. यह समझौता इस आदेश का हिस्सा होगा।

15. तदनुसार आवेदन स्वीकार किया जाता है।

16. अभिलेख में दर्ज किया गया।

मार्च 23, 2026

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

वी. सिन्हा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।